

डिक्री व मुकदमें ईक्टदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 529/2022
वाद पत्र अं.धारा :- 88/53 आर.टी.ए

1. लक्ष्मी देवी पत्नी मोहन लाल
2. पुष्पा देवी पत्नी बाबूराम
3. श्यामसुन्दर पुत्र लालचन्द

जाति मोदी निवासी संगरिया
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—वादीगण

बनाम्

1. मोहन लाल } पुत्रगण
2. बाबुराम } आसू राम
3. इन्द्रा देवी पत्नी लालचन्द
4. उर्मिला खत्री पुत्री लालचंद
5. प्रीति मोदी पुत्री लालचंद
6. मधु मोदी पुत्री लालचंद

जाति मोदी निवासी संगरिया
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

7. कुलदीप पुत्र ताराचंद जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. दताराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
9. पृथ्वीराज पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ़
10. पवन कुमार पुत्र नंद राम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
11. मदन लाल पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
12. राजेन्द्र कुमार पुत्र देवी लाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
13. सीताराम पुत्र ताराचंद जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
14. श्री प्रखर परोपकार मिशन ईकाई संगरिया सचिव मोमन चन्द मितल पुत्र गुलजारी लाल जाति अग्रवाल निवासी संगरिया।
15. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

—प्रतिवादीगण

दिनांक :- 29 / 5 / 2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कर्तई रोबरु हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानिया वकील वादीगण व श्री मनीराम सहू वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 6 , श्री सुनील कुमार टांडी वकील प्रतिवादी स 8 व 9 , श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील प्रतिवादी स 10 व 11, श्री नरेश मण्डा वकील प्रतिवादी स 7 , 12 व 13 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है

प्रशासन कार्यों के लिए अधीक्षण, 2023
शिविर प्रदाता (SDO)
शिविर स्थान, आ.प्र.रा.रा.नी

कि वादीगण का खाता वादपत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जाती है। व चक न 3 आर.टी.पी द्वितीय खाता सं 107/78 में प्रतिवादी स 1 व 2 का 0.1191 है हिस्सा बढ़ाकर वादीगण का इसी अनुसार कम किया जाता है। एव प्रतिवादी स 7 ता 13 का खाता काउन्टर क्लेम की चरण सं 8 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम की जाती है। वादपत्र की चरण सं 3 व काउन्टर क्लेम की चरण सं 8 निम्नानुसार है।

(क) वादीगण लक्ष्मी देवी, पुष्पा देवी व श्याम सुन्दर का यहिय हक व हिस्सा की भूमि:-
चक नं. 3 आरटीपी द्वितीय खाता सं. 107/78

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
186/192	68	9/2/0.1619 है. (दक्षिणी दिशा कि.न. 12 से चिपता) 10/0.054 है. (कि.न. 11 से 49.5 फुट लम्बा चिपता व कि.न. 9 कि.न. से चिपता 124.11 फुट लम्बा चिपता) 11/0.1633 है. उत्तरी पश्चिमी कोने में 115.5 फुट लम्बा व 73.2 फुट चौड़ा छोड़कर) 12/2/0.127 है., 20/2/0.023 है. 21/0.0171 है. (दोनों सड़को के बीच)

कुल 0.5463 है.

(ख) प्रतिवादी स 7 कुलदीप, प्रतिवादी स 13 सीताराम पुत्रगण ताराचन्द के हक व हिस्सा की कृषि भूमि -

चक नं. 3 आरटीपी द्वितीय खाता सं. 107/78

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
186/192	68	20/0.002 है (बाई पास सड़क पर 10 फुट चौड़ा कि.न 21 से चिपता भूखण्ड)

कुल-0.002 है

(ग) प्रतिवादी स 12 राजेन्द्र कुमार के हक व हिस्सा की कृषि भूमि-

चक नं. 3 आरटीपी द्वितीय खाता सं. 107/78

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
186/192	68	20/0.002 है (बाई पास सड़क पर 10 फुट चौड़ा कि.न 21 से उत्तर की और 10 फुट जगह छोड़कर भूखण्ड) कुल-0.002 है

(घ) प्रतिवादी स 8 दत्ताराम के हक व हिस्सा की कृषि भूमि -

चक नं. 3 आरटीपी द्वितीय खाता सं. 107/78

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
186/192	68	20/0.002 है (बाई पास सड़क पर 10 फुट चौड़ा कि.न 21 से उत्तर की और 20 फुट जगह छोड़कर भूखण्ड) कुल-0.002 है

29/5
प्रशासन गाँवों के योग अभियान 2023
शिविर प्रमोद (SDO)
शिविर स्थल 21.1.2023

(च) प्रतिवादी स 9 पृथ्वीराज के हक व हिस्सा की कृषि भूमि -

चक नं. 3 आरटीपी द्वितीय खाता सं. 107/78

पं.नं. मुं.नं. किला नं.
186/192 68 20/0.002 है (बाई पास सडक पर 10 फुट चौडा कि.न
21 से उतर की और 30 फुट जगह छोडकर भूखण्ड)
कुल-0.002 है

(छ) प्रतिवादी स 11 मदन लाल के हक व हिस्सा की कृषि भूमि -

चक नं. 3 आरटीपी द्वितीय खाता सं. 107/78

पं.नं. मुं.नं. किला नं.
186/192 68 20/2/0.0075 है (बाई पास सडक पर 20 फुट चौडा कि.न
21 से उतर की और 40 फुट जगह छोडकर भूखण्ड)
कुल-0.0075 है

(ज) प्रतिवादी स 10 पवन कुमार के हक व हिस्सा की कृषि भूमि-

चक नं. 3 आरटीपी द्वितीय खाता सं. 107/78

पं.नं. मुं.नं. किला नं.
186/192 68 20/2/0.0075 है (बाई पास सडक पर 20 फुट चौडा, कि.न
21 से उतर की और 60 फुट जगह छोडकर भूखण्ड)
कुल-0.0075 है

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिकित दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावें।

निज. नल. मुब्लिक. निल. बाबत. निल. खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29/5/2023 जारी किया गया।



29/5/2023
(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं 2023
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
शिविर स्थल रावेंद्रावाली